TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

G.S.R.(E).— In exercise of the powers conferred by section 134 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2021.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in proviso to sub-rule (1) of rule 3, for the figures, letters and words "1st day of April, 2021", the figures, letters and words "1st day of April, 2022" shall be substituted.

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

K.V.R. Murty,

Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 239(E), dated 31st March, 2014 and were last amended vide notification number G.S.R. 205(E), dated the 24th March, 2021.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 अप्रैल, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, नियम 3 के उप-नियम (1) के परन्तुक में, "1 अप्रैल 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2022" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V-पार्ट _{गा}र्-

के.वी.आर. मूर्ति,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।